न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 09 / 2024

1 कल्याण उम्र 70 साल पुत्र मैदाराम गुर्जर निवासी गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांट

बनाम

1 नानूराम पुत्र नाराणा गुर्जर निवासी गिरावड़ी तहसील उद्दयपुरवाटी जिला नीमकाथाना राज.।
2 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन अधिकारी श्री कल्पित शिवराण आरएएस बउनवानी प्रकरण नानूराम बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 130 / 2020

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 6.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 130/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 23 वाके ग्राम गिरावड़ी पटवार हल्का बागोरा तहसील उदयपुरवाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। धारा 96 पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 23 वर्तमान ग्राम गिरावड़ी में अवस्थित है प्रार्थी का पुराना कदीमी कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रार्थी के हक व अधिकार हित निहित है, विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने बउनवानी वादपत्र नानूराम बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 130/2020 में कब्जेदार काश्तकार प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया है बाला बाला रूप से न्यायालय में मुगालते में रखकर निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 को पारित करवा लिये जिसमें प्रार्थी को सूचना, सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय से तथ्य छुपाकर पारित करवाये गये निर्णय व डिक्री की आड़ में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग पर दखलअंदाजी पैदा करने पर आमादा है जबकि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता मैदाराम का जागिर समय से निरन्तर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि में हक व अधिकार हित निहित होने से निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार है प्रार्थी को आलौच्य आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने के आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रदान किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी को ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाने का आदेश फरमाया जावें। अपीलांट ने प्रकरण में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर दस्तावेजात रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि गिरावड़ी पटवार हल्का बागोरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 0.87 हैक्टेयर पर अप्रार्थी नानूराम का सेटलमेंट से पूर्व ही अप्रार्थी के पिता का ही कब्जा काश्त था अप्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसका अंकन खसरा गिरदावरी सम्वत 2021 से 2023 में भी दर्ज है। जिसमें उक्त कृषक नाराणा पुत्र मोती गुर्जर दर्ज रिकार्ड इससे साबित है कि अप्रार्थी का पूर्वज उक्त भूमि में प्रथम सेटलमेंट से पूर्व ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा ही सरकार को जरिये रसीद शुल्क भी समय–समय पर जमा करवा आ रहा है। जिसकी रसीद अप्रार्थी की पत्नी संतोष के नाम से काटी गई थी इससे भी साबित है कि अप्रार्थी का प्रथम सेटलमेंट से पूर्व ससे लेकर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अप्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष वाद पत्र उनवानी नानूराम बनाम तहसीलदार मु.नं. 130/2020 पेश किया गया था जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी नानूराम का कब्जा काश्त होना मानकर अप्रार्थी के वाद पत्र का निर्णय दिनांक 05.02.2024 को सही पारित किया गया है। जिसमें प्रार्थी आवश्यक पक्षकार नहीं होने की वजह से पक्षकार नहीं बनाया गया था। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए गलत एवं मिथ्या तथ्य दर्ज किये है। इसलिए भी प्रार्थी उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील पेश करने का अधिकार नहीं रखता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

सीपीसी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। इस स्तर पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिससे विवादित भूमि जागीर के समय से निरन्तर आदिनांक तक अपीलांट अथवा उनके पूर्वजो के नाम काश्त दर्ज होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर